संख्या-3090-09/उ0शि0-2-2013-2(65)/2013

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2013

विषयः-बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2013-14 में सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सम्बद्धता/3605, दिनांक 2.9.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित 2010 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-17(2) के परन्तुक के अधीन चौ0 चरण सिंह कालेज आफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलाजी, हापुड़, मेरठ को लगातार चार वर्ष तक शिक्षा सत्र के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों का विशेष कोटा अग्रिम सम्बद्धता प्रदान करने के अधीन दिनांक 01.4.2013 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2861/उ0शि0-2-2003-18(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित शिक्षा निदेशी के इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य सम्बद्ध सीटों की स्वीकृति एवं शासन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।

(3) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षा/अभ्यास की शर्तों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोटा के प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही निर्णयानुसार की जायेगी।

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)